बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (रोहतास) 02–23/2021– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

समाहर्त्ता, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–732, दिनांक–14.06.2021 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्रीमती सीमा रानी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, डिहरी, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सरकारी भूमि से संबंधित अभिलेख/दस्तावेजों में जालसाजी कर सरकारी भूमि के बंदरबांट करने का विषय संज्ञान में लाने पर भी मामले को गंभीरता से न लेकर लीपा–पोती का प्रयास करने, दाखिल–खारिज अपील में सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने, दाखिल–खारिज वाद में दुलर्भ संधि कर दाखिल–खारिज अधिनियम के विपरीत आदेश पारित करने एवं चहेते कर्मी को लाभ पहुँचाने के नियत से नियम के विरूद्ध अवकाश देने, बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश अवधि का वेतन भुगतान करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–558(14) दिनांक–18.08.2021 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्रीमती रानी के दिनांक–06.09.2021 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित करते हुए कतिपय साक्ष्यों/अभिलेखों की मांग की गयी। उक्त के आलोक में वांछित साक्ष्य आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–798(14) दिनांक–26.10.2021 सहित कतिपय स्मार पत्रों द्वारा अंचल अधिकारी, डिहरी, रोहतास को निदेश दिया गया। साथ ही समाहर्त्ता, रोहतास से भी वांछित साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, डिहरी के पत्रांक–1400 दिनांक–30.10.2025 द्वारा श्रीमती रानी के विरूद्ध गठित आरोप से संबंधित साक्ष्य श्रीमती रानी को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त श्रीमती रानी द्वारा दिनांक–19.11.2025 को विभाग में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती रानी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, भोजपुर** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी(सासाराम)** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्रीमती रानी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, भोजपुर/अपर समाहर्त्ता, भोजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी (सासाराम)/श्रीमती सीमा रानी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, डिहरी, रोहतास **सम्प्रति सेवानिवृत्त** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–23/2021–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, भोजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी (सासाराम)/ श्रीमती सीमा रानी सम्प्रति सेवानिवृत्त **(स्थायी पता :– पति–श्री प्रभात रंजन, पनखतौली, प्रभात कुंज, मुजफ्फरपुर, पिन–842002)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–23/2021–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, भोजपुर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–23/2021–......892......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...19.06.26...

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Seema rani_CO_(Dihri_rohtas).doc